



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 ज्येष्ठ 1948 (श10)

(सं0 पटना 568) पटना, शुक्रवार, 5 जून 2026

सं० एम-04-41/2006/5204—वि०

वित्त विभाग

संकल्प

3 जून 2026

**विषय:-**स्थायी अग्रिम के अधिसीमा की स्वीकृति/विस्तार के सम्बन्ध में ।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8585/वि०, दिनांक-10.08.2010 द्वारा राज्य सरकार ने स्थायी अग्रिम की वित्तीय शक्तियों का विस्तार बिहार वित्त नियमावली के नियम-112(2) के अन्तर्गत निम्नवत किया:-

#### पदाधिकारी

- (क) सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव  
(ख) सभी जिला पदाधिकारी  
(ग) सभी अनुमंडल पदाधिकारी

#### प्रदत्त वित्तीय शक्ति

- ₹1,00,000/-  
₹1,00,000/-  
₹25,000/-

कालांतर में प्रशासी विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में स्थायी अग्रिम की स्वीकृति एवं उसकी अधिसीमा में वृद्धि किये जाने की कार्यवाई हुई । इस क्रम में वर्ष 2010 के उत्तरार्द्ध से स्वीकृत/संशोधित स्थायी अग्रिम निम्नवत है :-

| क्र० | वित्त विभागीय संकल्प का संदर्भ | प्राधिकार/विभाग का नाम                                                                                | प्रदत्त वित्तीय शक्ति |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1    | 13993/वि(2), दिनांक-14.12.2010 | सभी विभागाध्यक्ष                                                                                      | ₹1,00,000/-           |
| 2    | 7596/वि(2), दिनांक-23.07.2012  | सभी अनुमंडल पदाधिकारी                                                                                 | ₹1,00,000/-           |
| 3    | 3266/वि०, दिनांक-26.04.2016    | राज्य अग्निशाम पदाधिकारी                                                                              | ₹5,00,000/-           |
| 4    | 4567/वि०, दिनांक-03.06.2016    | सभी प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर पर उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त तथा मुख्यालय स्तर पर श्रमायुक्त के सचिव | ₹1,00,000/-           |
| 5    | 5233/वि०, दिनांक-29.06.2016    | राज्य मुख्य सूचना आयुक्त                                                                              | ₹1,00,000/-           |
| 6    | 7383/वि० दिनांक-16.09.2016     | पुलिस महानिदेशक                                                                                       | ₹5,00,000/-           |
| 7    | 2258/वि०, दिनांक-27.03.2017    | सामान्य प्रशासन विभाग(विभागीय स्थायी अग्रिम)                                                          | ₹2,00,000/-           |

| क्र० | वित्त विभागीय संकल्प का संदर्भ | प्राधिकार/विभाग का नाम                                                                                                         | प्रदत्त वित्तीय शक्ति                                     |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 8    | 4107/वि०, दिनांक-15.06.2017    | सभी जिला योजना पदाधिकारी                                                                                                       | ₹25,000/-                                                 |
| 9    | 5067/वि० दिनांक-21.07.2017     | गृह विभाग (विभागीय स्थायी अग्रिम)                                                                                              | ₹3,00,000/-                                               |
| 10   | 7476/वि० दिनांक-08.10.2018     | पथ निर्माण विभाग (विभागीय स्थायी अग्रिम)                                                                                       | ₹2,00,000/-                                               |
| 11   | 721/वि० दिनांक-21.01.2019      | सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (निर्वाचन कार्य हेतु)                                                            | ₹2,00,000/-                                               |
| 12   | 4506/वि० दिनांक-23.05.2019     | समादेष्टा, राज्य आपदा रिसर्प्स फोर्स                                                                                           | ₹5,00,000/-                                               |
| 13   | 7384/वि० दिनांक-11.09.2019     | सभी थाना/ओ०पी०<br>(निर्धारित श्रेणीवार यथा, A, B एवं C)                                                                        | A-₹25,000/-<br>B-₹15,000,<br>C-₹10,000/-                  |
| 14   | 534/वि० दिनांक-17.01.2020      | माननीय पटना उच्च न्यायालय                                                                                                      | ₹5,00,000/-                                               |
| 15   | 534/वि० दिनांक-17.01.2020      | सभी प्रमंडलीय आयुक्त                                                                                                           | ₹1,00,000/-                                               |
| 16   | 5065/वि० दिनांक-11.08.2021     | पुलिस महानिदेशक (विभिन्न भारतीय आयुध कारखाना से आयुधों के संकलन/प्राप्ति के निमित्त)<br>केन्द्रीय कारा<br>मंडल कारा<br>उप-कारा | ₹20,00,000/-<br>₹3,00,000/-<br>₹2,00,000/-<br>₹1,00,000/- |
| 17   | 6298/वि० दिनांक-04.07.2022     | कृषि विभाग                                                                                                                     | ₹2,00,000/-                                               |
| 18   | 9425/वि० दिनांक-11.10.2022     | सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव                                                                                                   | ₹2,00,000/-                                               |
| 19   | 1023/वि० दिनांक-31.01.2023     | सामान्य प्रशासन विभाग<br>विभागीय स्थायी अग्रिम<br>जाति आधारित गणना कार्य के निष्पादन तक के लिए                                 | ₹2,00,000/-<br>₹3,00,000/-                                |
| 20   | 1469/वि० दिनांक-13.02.2023     | उद्योग विभाग<br>विभागीय स्थायी अग्रिम<br>निवेश आयुक्त कार्यालय, मुंबई हेतु                                                     | ₹2,00,000/-<br>₹2,00,000/-                                |
| 21   | 5384/वि० दिनांक-20.06.2023     | जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी                                                                               | ₹25,000/-                                                 |
| 22   | 11455/वि० दिनांक-27.12.2023    | श्रम संसाधन विभाग के 29 कार्यालयों के श्रम अधीक्षक/सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त                                              | ₹1,00,000/-                                               |
| 23   | 3500/वि० दिनांक-26.03.2025     | श्रम संसाधन विभाग के 06 कार्यालयों के उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त                                                           | ₹1,00,000/-                                               |
| 24   | 11309/वि०, दिनांक-04.11.2025   | सामान्य प्रशासन विभाग (विभागीय स्थायी अग्रिम)                                                                                  | ₹3,00,000/-                                               |
| 25   | 3525/वि०, दिनांक-15.04.2026    | मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय (विभागीय स्थायी अग्रिम में से आवश्यकतानुसार)                                                        |                                                           |

सम्प्रति श्रम संसाधन विभाग से प्राप्त अनुरोध के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली को ₹3.00 लाख तक की स्थायी अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विस्तारित शक्तियों के अनुसार राशि की निकासी के लिये अब महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी । चूँकि यह स्थायी अग्रिम है, अतः व्यय का विकलन लोक लेखा-2 शीर्ष-8672 स्थायी अग्रदाय (व्यय)-101 सिविल से होगा ।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी संबंधितों तथा महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संजीव मित्तल,  
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।  
बिहार गजट (असाधारण) 568-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>